**न्यायालय विशेष न्यायधीश, 'पॉक्सो एक्ट'/ अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–20, कानपुर**
**अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2280/2026**
**CNR No–UPKN010066192026**

बृजेश वर्मा पुत्र मथुरा प्रसाद निवासी 13/14 परमट कानपुर नगर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

**बनाम**

1. उत्तर प्रदेश द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता कानपुर नगर।

.....विपक्षी/अभियोगी।

मुकदमा अपराध संख्या–35/2023
धारा–147, 386, 420, 506, 120 बी भा०दं०सं०
थाना–कलक्टरगंज, जिला–कानपुर नगर।

**29.06.2026**

प्रार्थी/अभियुक्त बृजेश वर्मा की ओर से उपरोक्त मुकदमे में अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक एफ.आई.आर. के अनुसार इस प्रकार है कि,"प्रार्थी विट्ठल गुप्ता पुत्र श्री स्वर्गीय अशोक कुमार गुप्ता नि० म 0 नं0 58/28 बिरहाना रोड थाना कलेक्टरगंज कानपुर नगर का निवासी है। प्रार्थी के माताजी नीलम गुप्ता पत्नी स्वर्गीय अशोक कुमार गुप्ता नि० म 0 नं0 58/28 बिरहाना रोड थाना कलेक्टरगंज कानपुर नगर की निवासी हैं उनके नाम पर नारामऊ कछार में जमीन है पिछले कई वर्षों से प्रार्थी की माताजी नीलम गुप्ता और प्रार्थी विट्ठल गुप्ता पर गौरव गुप्ता पुत्र राजेंद्र प्रसाद गुप्ता (मूल नि0 म 0 सं0 16/29 सिविल लाइंस कानपुर नगर 2. 8/92 आर्य नगर कानपुर नगर, वहाल मुकाम 117/173 साईं धाम हर्ष नगर कानपुर नगर, मो0 नं0–8090525552, 9389525552, 9161525552 ) एवं उनके भू माफियाओं के सिंडिकेट (रेकेट) के द्वारा उनकी नारामऊ की जमीन को हड़पने का दबाव बना रहे हैं कई बार जान से मारने की धमकी भी दी हैं और कहा है कि मुझे किसी भी सूरत में यह जमीन चाहिए। प्रार्थी और प्रार्थी की माताजी ने कई बार उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और मना कर दिया था तब गौरव गुप्ता द्वारा प्रार्थी विट्ठल गुप्ता पर अनजान महिला आरती पाठक पुत्री उमाशंकर पाठक के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 891/22 धारा 328/376D/323/506 IPC कल्याणपुर जिला कानपुर नगर में झूठा मुकदमा कायम करा दीया। उपरोक्त मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट संख्या 51/23 दिनांक 28/02/2023 को प्रेषित की जा चुकी है। अब प्रार्थी को ब्लैकमेल कर उसकी मां की नारामऊ कछार की भूमि का बैनामा कराने के लिए दबाव बनाने हेतु तथा जान से मारने की धमकी देते हुए 2 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं और मेरी मां की जमीन हड़पना चाहते हैं। प्रार्थी के पास गौरव गुप्ता पुत्र राजेंद्र प्रसाद गुप्ता व आरती पाठक पुत्री

उमाशकर पाठक, एडवोकेट अंशिका सिंह पत्नी रवि सिंह राठौर एवं बृजेश वर्मा पुत्र अज्ञात की रिकार्डिंग मौजूद है (सभी रिकर्डिंग का डाटा प्रार्थी के मोबाइल पेन ड्राइव एवं सीडी ड्राइव पर साक्ष्य के रूप में सुरक्षित है।) जिससे सिद्ध होता है कि उक्त प्रकरण फर्जी तरीके से कायम कराया गया है। यह कि प्रार्थी को राजेंद्र प्रसाद गुप्ता पुत्र मनोहर लाल गुप्ता नि० म0सं0 16/29 सिविल लाइंस कानपुर नगर 8/92 आर्य नगर कानपुर नगर, वहाल मुकाम 2–117/173 साई धाम हर्ष नगर कानपुर नगर, मो0नं0 – 9336213256, गौरव गुप्ता पुत्र राजेंद्र प्रसाद गुप्ता मूल नि० म०सं० 16/29 एसडी अंग्रेजी अपठनीय 21.04.2023 सिविल लाइंस कानपुर नगर 2. 8/92 आर्य नगर कानपुर नगर, वहाल मुकाम 117/173 साईं धाम हर्ष नगर कानपुर नगर, मो0नं0– 8080525552, 9389525552, 9161525562, आरती पाठक पुत्री उमाशंकर पाठक मूल निवास स्थान लवकुश नगर बिठूर कानपुर वहाल मुकाम 117/196 काकादेव नवीन नगर कानपुर नगर मो0नं0–7376602397, एडवोकेट अंशिका सिंह पत्नी रवि सिंह राठौर निवासी कटरी जिला नवाबगंज कानपुर नगर मो0नं0–9984612177, एडवोकेट बृजेश वर्मा पुत्र अज्ञात कार्यालय गेट नंबर 4 निकट रजिस्ट्री ऑफिस प्रथम तल पक्के चेंबर कचहरी परिसर सिविल लाइंस कानपुर नगर मो0नं0 9198555550, जबरन ब्लैकमेल करने के लिए झूठा मुकदमा लिखा गया है और बात ना मानने पर 302,307 जैसे संगीन धाराओं के फर्जी मुकदमा में फसाए जाने की धमकी दी और लाखों रुपए की रंगदारी की मांग की जा रही है और रुपए व भूमि न लिखने पर जेल भिजवाने की धमकी दी है। प्रार्थी व उसके परिवार को इन लोगों से जान माल का खतरा है, उक्त व्यक्ति आपराधिक मानसिकता के हैं। जो बार–बार घर पर आकर एवं फोन पर परेशान, मानसिक प्रताड़ित, भयभीत कर अपने मंसूबे पूरे कर जमीन हड़पना चाहते हैं और किसी भी समय प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार की हत्या का षडयंत्र रच हत्या की जा सकती है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी की रिपोर्ट उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध F.I.R दर्ज करा कर कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करें।।"

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमें में फर्जी व मनगढंत तरीके से नामित करा आरोपी बना दिया गया है जबकि प्रार्थी का उपरोक्त मामलें से कोई लेना–देना नहीं है न ही प्रार्थी उपरोक्त कथित जमीन के विषय में कोई जानकारी ही रखता है। प्रार्थी ने उक्त जमीन के बावत द्वारा अधिवक्ता दिनांक 16.07.2012 को एक अनुबन्ध पत्र तुलसा देवी व राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता के मध्य कराया था जो कि दिनांक 16.07.2012 को पर क्रमांक 4289 पर रजिस्ट्रीकृत किया गया था जिसमें प्रार्थी ने अधिवक्ता के रुप में अपनी मोहर अंकित की थी जिसमें वादी मुकदमा गवाह के रुप में अंकित था। वादी मुकदमा उपरोक्त मोहर को देखकर अन्य व्यक्तियों से जानकारी कर प्रार्थी के पास वर्ष 2023 में प्रार्थी के चेम्बर आया था और प्रार्थी से उपरोक्त जमीन के बावत समझौते की बात कराने की बात करने लगा। प्रार्थी के मना करने पर कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता तो वादी मुकदमा प्रार्थी से

दोबारा आने की बात कहकर चला गया। कुछ समय बाद वादी मुकदमा प्रार्थी के चेम्बर में दोबारा आया और अपने समझौते के बावत बात करने लगा। प्रार्थी के कहने पर कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ तो वादी मुकदमा प्रार्थी से वाद विवाद करने लगा तथा गाली गलौज करने लगा। प्रार्थी ने उपरोक्त व्यक्ति को अपने चेम्बर से भगाया तो उपरोक्त व्यक्ति प्रार्थी को देख लेने की धमकी देते हुए चेम्बर से चला गया। इसी बात की रंजिश रखते हुए प्रार्थी का नाम उक्त झूठे तथ्यों के आधार पर प्रथम सूचना रिर्पोट में अंकित कर दिया। उपरोक्त मुकदमें में अन्तिम रिपोर्ट संख्या–26/2023 दिनांक 10.11.2023 को प्रेषित की जा चुकी थी। उसके बावजूद उपरोक्त मुकदमें में वादी मुकदमा द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रोटेस्ट याचिका दाखिल किया गया था जिस पर न्यायालय द्वारा उपरोक्त मुकदमे को परिवाद के रुप में दर्ज कर लिया था। जिसपर उपरोक्त मुकदमें में वादी मुकदमा द्वारा धारा 200 सी०आर०पी०सी० के बयान दिनांक 15.02.2025 को दर्ज करवाया गया किन्तु उक्त मामलें में दी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट व धारा 200 सी०आर०पी०सी० के बयानो में भी शपथपकर्ता की कोई विशेष भूमिका व घटना का दिनांक व समय अंकित नहीं कराया गया केवल प्रार्थी का नाम ही लिया गया है जबकि प्रार्थी का उपरोक्त मामले में सिर्फ नाम ही लिया गया है। प्रार्थी का उपरोक्त मुकदमें से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है और न ही प्रार्थी उक्त मामले में किसी प्रकार से लाभान्वित है। वादी मुकदमा उक्त मामले में पूर्व विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या आने व उसके प्रोटेस्ट करने के उपरान्त न्यायालय द्वारा उक्त वाद को परिवाद के रुप में दर्ज करने के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक क्रिमिनल रिवीजन संख्या–2409/2024 बिट्ठल गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि दाखिल की जिसको सुनने के उपरान्त दिनांक 06.09.2024 को अधीनस्थ न्यायलय द्वारा उक्त मामले का परिवाद में दर्ज किये जाने के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए वादी मुकदमा द्वारा दाखिल उक्त क्रिमिनल रिवीजन को खारिज कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उक्त मामलें में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मामले को परिवाद में दर्ज करने हेतु किए गए आदेश के बावजूद थाना कलक्टरगंज पुलिस द्वारा उपरोक्त मामले में अधीनस्थ न्यायालय से उक्त मामले में पुनः विवेचना किये जाने की मांग की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों की अनदेखी कर पुनः विवेचना का आदेश पारित कर दिया गया था। प्रार्थी को थाना कलक्टरगंज पुलिस द्वारा नोटिस प्राप्त हुयी जिस पर प्रार्थी ने अपना बयान दर्ज कराने की बात करी परन्तु थाना कलक्टरगंज पुलिस द्वारा प्रार्थी से अभद्रता करते हुए प्रार्थी को गिरफ्तार करने की धमकी दी जाने लगी। प्रार्थी एक अधिवक्ता है, प्रार्थी का उक्त मामले से कोई लेना देना नहीं है। न्यायालय द्वारा दिनांक 26.09.2023 को कथित अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता एवं गौरव गुप्ता की अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर अभियुक्तगणों को अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। प्रार्थी न्यायालय द्वारा आरोपित सभी शर्तों का अनुपालन करने व न्यायालय के लिए संतोषजनक राशि के प्रतिभूति पत्र प्रस्तुत करने का वचन देता है। न्यायहित में आवश्यक है कि अग्रिम जमानत

प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाये और प्रार्थी को दौरान विवेचना/विचारण अर्थात् केस के अन्तिम निस्तारण तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये। उक्त तथ्यों एवं कारणों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया गया है कि अभियुक्त उपरोक्त मामले में नामजद अभियुक्त है। उपरोक्त मामले में न्यायालय के आदेशोपरान्त अग्रिम विवेचना की जा रही है व अभियोग की विवेचना अभी प्रचलित है। प्रार्थी/अभियुक्त अग्रिम जमानत पाने पर जमानत शर्तों का उल्लंघन करेगा तथा पुनः अपराध कारित करेगा। तदनुसार अग्रिम जमानत आवेदन पत्र को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा संपूर्ण केस डायरी सहित अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने एवं अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप लगाया गया है कि अभियुक्त ने अधिवक्ता के रूप में सह–अभियुक्तों के द्वारा की जानी वाली धोखा–धड़ी से सम्बन्धित अभिलेख में अपनी मोहर अँकित की थी। पत्रावली के परिशीलन से प्रकट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में विवेचनोपरान्त अंतिम आख्या प्रेषित की गयी थी परन्तु प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र पर उसे परिवाद के रूप में दर्ज कर लिया गया। उसी दौरान प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक ने न्यायालय अग्रिम विवेचना का आदेश प्राप्त करके अग्रिम विवेचना प्रचलित कर दी। प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता एवं गौरव गुप्ता की अग्रिम जमानत पूर्व में न्यायालय द्वारा स्वीकृ की जा चुकी है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत मामले में विवेचना अभी प्रचलित है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में गुणदोष के संबंध में कोई विचार व्यक्त किये बिना इस मामले में आवेदक/अभियुक्त को सशर्त अग्रिम जमानत देना उचित होगा। आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र कुछ शर्तों के अधीन स्वीकार किये जाने योग्य है।

## <u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त बृजेश वर्मा का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि–

1– यदि आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार किया जावे तो उसे रूपये 50,000/–का व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू व इस आशय का वचनपत्र दाखिल करने पर कि ''आवेदक आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होगा और समान अपराध नहीं करेगा और इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा और

साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।'', जमानत पर रिहा किया जावे।

2– विवेचक द्वारा बुलाये जाने पर आवेदक उसके द्वारा बताये गये स्थान व समय पर उपलब्ध रहेगा व जांच में पूर्ण सहयोग करेगा। ऐसा न करने पर उसकी अग्रिम जमानत निरस्त की जा सकती है।

3– आवेदक एवं उसके प्रतिभू अपने–अपने आधार कार्ड अथवा फोटो पहचानपत्र व निवास प्रमाण की फोटोप्रतियां बंधपत्र/प्रतिभूपत्रों के साथ प्रस्तुत करेंगे। आवेदक व उनके प्रतिभू अपने अस्थायी व स्थायी सभी पते बंधपत्र/प्रतिभूपत्र में अंकित करेंगे।

**(पवन कुमार राय)**
**विशेष न्यायाधीश 'पॉक्सो एक्ट'/**
**अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–20**
**कानपुर नगर।**

Digitally signed by Pawan Kumar Rai
Date: 2026.06.29 18:15:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court